

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687
वेबसाईट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :- निपेवि/पीसी/ई-कुबेर/2020-21

दिनांक : 1541-K
14.12.21

तकनीकी निदेशक,
NIC पेंशन विभाग
जयपुर।

विषय:- जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु एप तैयार करने बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा अपने पेंशनर्स को जीवित प्रमाण पत्र E-Portal के माध्यम से स्वीकारे जा रहे हैं, यथा जीवन प्रमाण पोर्टल, इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक, डोर स्टेप बैंकिंग एप।

राज्य सरकार द्वारा भी राज्य के पेंशनर्स को E-Portal के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रेषित करने तथा उसका प्रमाणीकरण करने की सुविधा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है। भविष्य में राज्य के पेंशनर्स को E-kuber के माध्यम से एकल डीडीओ के द्वारा भुगतान करने का प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है।

अतः आप राज्य सरकार के पेंशनर्स को E-Portal के माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र स्वीकार करने तथा उसका प्रमाणीकरण करने के लिए एक एप का निर्माण करे जो मोबाईल पर भी कार्यशील हो सके। एप पर कार्य करने के लिए PPO/FPPO No , Type of Pension , Date of Retirement की पूर्ति करने पर ही पेंशनर्स को एप पर Excess करने की अनुमति प्राप्त हो सके।

इसके अतिरिक्त पेंशनर्स को भारत सरकार के आधार एप (UIDAI) पर बायोमेट्रिक अथवा ई-मित्र पर भी जीवित प्रमाण पत्र प्रेषित करने तथा प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान कराने की व्यवस्था करावें।

भवदीय


(संजय सोलंकी)
निदेशक
A. J.